

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(10)नविवि/नियम/2019

जयपुर, दिनांक: 04 जून, 2021

:- आदेश :-

विभागीय आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/2011 पार्ट दिनांक 30.09.2020 द्वारा दिनांक 01.05.2020 के बाद नीलामी के भूखण्डों में 240 व 360 दिन में राशि जमा कराने की छूट एवं नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है उन प्रकरणों में 35 प्रतिशत राशि दिनांक 31.12.2020 तक एवं 50 प्रतिशत राशि 31.03.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की गई, जिसे बाद में विभागीय आदेश क्रमांक प.17(10)नविवि/11/2019 दिनांक 19.01.2021 द्वारा क्रमशः 31.03.2021 एवं 30.06.2021 तक बढ़ाया गया है।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के मध्यनजर नीलामी के जिन प्रकरणों में भूखण्डों की राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है एवं दिनांक 01.05.2020 के पश्चात के नीलामी के समस्त प्रकरणों में भूखण्डों की 35 प्रतिशत राशि दिनांक 30.06.2021 तक एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 30.09.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

उक्त आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2021 के अधिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयली)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम